कार्यालय/फैक्स: 05966-222792
कैम्प कार्यालय-:0135-2759796
ई-मेल:missionhortiuk@gmail.com

# निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
## उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत (अल्मोड़ा)

पत्रांक 2463 /टूल्स/मशीन पंजीकरण/2018-19 दिनांक:देहरादून:जनवरी 24,2019

## औद्यानिक औजारों/मशीनों के मूल निर्माता फर्मों/कम्पनियों की दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (EoI)

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में औद्यानिक औजारों/मशीनों (Tools, Implements and Machines) से काश्तकारों को लाभान्वित करने हेतु विभाग द्वारा संचालित विभिन्न राज्यपोषित एवं केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत राज सहायता प्रदान की जाती है, जिस हेतु विभाग में दिनांक 31.03.2022 तक विभिन्न फर्मों/कम्पनियों के औद्यानिक औजारों/मशीनों की दरें एवं विशिष्टियां पंजीकृत है। वर्तमान में कतिपय फर्मों/कम्पनियों द्वारा उनके औद्यानिक औजारों/मशीनों की दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण हेतु निवेदन किया जा रहा है। उद्यानपतियों को औद्यानिक औजारों/मशीनों के चयन हेतु अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने हेतु, फर्मों/कम्पनियों के निवेदन एवं यदि कोई अन्य फर्म/कम्पनी भी अपने औद्यानिक औजारों/मशीनों की दरों एवं विशिष्टियों का पंजीकरण कराना चाहती है तो उनको भी अवसर प्रदान करने हेतु औद्यानिक औजारों/मशीनों की दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण हेतु मूल निर्माता फर्मों/कम्पनियों के औद्यानिक औजारों तथा मशीनों के दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण के लिये विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर बन्द लिफाफे में कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में दिनांक 20.02.2019 को अपरान्ह 02:00 बजे तक आमन्त्रित किये जाते हैं, जिसे उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे विभागीय समिति के समक्ष खोला जायेगा तथा दिनांक 20.02.2019 को ही आवेदक फर्मों द्वारा अपने-अपने औद्यानिक औजारों तथा मशीनों का प्रदर्शन समिति के समक्ष कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून मे करना होगा।

निर्धारित प्रारूप तथा शर्तें विभागीय वेबसाइट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है प्रारूप को जमा करने हेतु रु0 2360/-(GST सहित) का बैंक ड्राफ्ट जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत के नाम देय हो, संलग्न करना होगा।

निदेशक,
उद्यान, उत्तराखण्ड

☎ कार्यालय/फैक्सः 05966–222792
कैम्प कार्यालय–:0135–2759796
ई–मेलःmissionhortiuk@gmail.com

# निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
## उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत (अल्मोड़ा)

## औद्यानिक औजारों/मशीनों के मूल निर्माता फर्मों/कम्पनियों की दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) की शर्तें

1. पंजीकरण हेतु सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर देनी होगीं। निर्धारित प्रारूप के साथ बैंक ड्राफ्ट रु. 2360/– (GST सहित) जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत के नाम देय हो संलग्न करना होगा।
2. पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रारूप फार्म को बागवानी मिशन की बेबसाईट **www.shm.uk.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. आवेदन पत्र मात्र मूल विनिर्माता फर्मो (Original Manufacturer) से ही स्वीकार किये जायेगें।
4. आवेदन प्रपत्र बन्द लिफाफे में जिसके ऊपर "औद्यानिक औजारों तथा मशीनों हेतु पंजीकरण के लिये आवेदन" अंकित हो, दिनांक 20.02.2019 को अपरान्ह 02:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून कार्यालय में जमा करना होगा।
5. पंजीकरण हेतु प्राप्त लिफाफों को विभाग द्वारा गठित समिति के सम्मुख दिनांक 20.02.2019 को अपरान्ह 02:00 बजे बाद खोला जायेगा।
6. दिनांक 20.02.2019 को ही अपने–अपने Tools, Implements and Machines का गठित समिति के समक्ष कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून कैम्पस में प्रदर्शन करना होगा।
7. पंजीकरण दिनांक 31.03.2022 तक के लिए किया जा रहा है। परन्तु फर्म/कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए अनिवार्य अभिलेखों की वैधता तिथि समाप्त होने की स्थिति में सम्बंधित नवीनीकृत अभिलेख ससमय विभाग को प्रस्तुत किए जाने होंगे। नवीनीकृत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने की दशा में पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।
8. पंजीकरण हेतु वर्तमान में दी गई औद्यानिक औजारों/मशीनों की दरों के भविष्य में संशोधन की स्थिति में अविलम्ब विभाग को सूचित करना होगा। अन्यथा की स्थिति में पंजीकरण किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा।
9. विभाग आवश्यकतानुसार पंजीकरण व्यवस्था को किसी भी समय नवीनीकरण अथवा समाप्त करने की कार्यवाही कर सकता है।
10. विभाग द्वारा जारी पंजीकरण हेतु EoI के समय में बिना कारण बताये परिवर्तन या संशोधन (आंशिक या पूर्ण) का अधिकार निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड को होगा।
11. पंजीकृत किये जाने वाले औद्यानिक औजारों तथा मशीनों को कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के नियमों का पालन करते हुए आवश्यकतानुसार आई0एस0आई0/बी0आई0एस0 मार्क के हों तथा FMTTI या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से टेस्टेड होने चाहिए।
12. वर्तमान में HMNEH योजना की मार्ग निर्देशिका–2014 के अनुसार औद्यानिक यन्त्रीकरण घटक के अन्तर्गत अनुमन्य लागत एवं राज सहायता की धनराशि के प्रतिशत को दृष्टिगत रखते हुए कास्तकारों को लाभान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा संशोधित मार्ग निर्देशिका जारी करने के उपरान्त संशोधित मार्ग निर्देशिका में अनुमन्य लागत, देय राज सहायता के प्रतिशत व अन्य शर्तो को दृष्टिगत रखते हुए कास्तकारों को लाभान्वित किया जायेगा, जिस हेतु पंजीकण उपरान्त फर्मो को ससमय सूचित किया जाएगा।

क्रमशः– .....2.....

13. फर्म/कम्पनी को सामग्री की गुणवत्ता, स्थापना, सामग्री का बदलाव (Replacement) विक्रय उपरान्त सेवा इत्यादि की भी जिम्मेदारी लेनी होगी तथा उनके द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री की 01 वर्ष की गारन्टी/वारन्टी भी देनी होगी।
14. औद्यानिक औजार/मशीन पर देय राजसहायता की मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कृषक अपनी इच्छानुसार विभाग में पंजीकृत किसी भी फर्म/कम्पनी से औद्यानिक औजार/मशीन क्रय करने हेतु स्वतन्त्र होगा। कृषकों की सहमति पर मुख्य/जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा भी औद्यानिक औजार/मशीन क्रय कर कास्तकारों को वितरित किया जा सकता है।
15. औद्यानिक औजार/मशीन की आपूर्ति समस्त जनपद मुख्यालयों एक समान दरों पर ही करनी होगी।
16. भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटिज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोत्तरी/परिवर्तन किया जाता है तो पंजीकृत फर्म के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोडा को तत्काल उपलब्ध करायेगें।
17. यदि प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई फर्म/कम्पनी अनुचित कार्यों में लिप्त है तो उस फर्म/कम्पनी का पंजीकरण निरस्त कर विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
18. फर्म/कम्पनी को औद्यानिक औजारों तथा मशीनों को चलाने और उसके रख–रखाव की तकनीकी जानकारी से कृषकों को संन्तुष्ट करना होगा।
19. फर्म/कम्पनी को रू0 100.00 नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पूर्वक अवगत कराना होगा कि पंजीकरण हेतु दी जा रही दरों से कम दरों पर फर्म/कम्पनियों द्वारा किसी अन्य राज्य/विभाग/संस्था को औद्यानिक औजार/मशीनों की आपूर्ति नहीं की जा रही है।
20. पंजीकरण 31 मार्च–2022 तक के लिये किया जायेगा।
21. पंजीकरण हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रंसस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोडा के नाम बन्धक हो तथा दिनांक 31.03.2022 तक वैद्य हो निम्न विवरणानुसार जमा करनी होगीः–

    I) केवल Power Operated Machine/Tools (शक्ति चालित मशीन/टूल्स की श्रेणी) के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु रू0 4.50 लाख की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद।

    II) केवल Manually Operated Equipment (हस्त चालित औजार जैसे– प्रुनिगं टूल्स/नर्सरी टूल्स) के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु रू0 0.50 लाख की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद।

    III) दोनो Power Operated Machine/Tools (शक्ति चालित मशीन/टूल्स की श्रेणी) एवं Manually Operated Equipment (हस्त चालित औजार जैसे– प्रुनिगं टूल्स/नर्सरी टूल्स) के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु रू0 5.00 लाख की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद।
22. फर्म/कम्पनी द्वारा औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों पर पेन्ट से उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड, वर्ष .................... योजना का नाम ........................ एवं देय राज सहायता की धनराशि रू0 ............................ अंकित की जायेगी तथा आपूर्ति के समय कृषक का यन्त्र के साथ फोटो लेना आवश्यक होगा।
23. यदि विभाग चाहे तो पंजीकरण व्यवस्था को किसी भी समय नवीनीकृत अथवा समाप्त कर सकता है।
24. पंजीकरण के उपरान्त यदि कोई फर्म/कम्पनी विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो का पालन करते हुये अपने औद्यानिक औजारों/मशीनों की दरों एवं विशिष्टियों का पंजीकरण करवाना चाहता हो तो उस पर विचार किया जा सकता है।
25. पंजीकरण की अवधि के दौरान यदि फर्म/कम्पनियों द्वारा विकय किए गए औजार/मशीनों की गुणवत्ता एवं रख–रखाव के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
26. फर्म/कम्पनी के मानक इत्यादि सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की वैद्यता तिथि 31.03.2022 से पूर्व समाप्त होती है तो फर्म/कम्पनी को नवीनीकृत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा फर्म/कम्पनी का पंजीकरण समाप्त कर दिया जायेगा।

क्रमशः– .....3.....

आवश्यक अभिलेखः

1. निर्धारित प्रारूप पर दरों विशिष्टियों आदि का विवरण।
2. मूल निर्माता फर्म/कम्पनियों को प्रत्येक औद्यानिक औजारों/मशीनों/यन्त्रों की सक्षम स्तर से प्राप्त व्यवसायिक परीक्षण रिपोर्ट आवश्यक रूप से संलग्न करनी होगी।
3. रू0 2360.00 (GST सहित) का बैंक ड्राफ्ट, जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोडा के नाम बना हो तथा रानीखेत में देय हो, संलग्न करना होगा।
4. पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद (FDR), जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोडा के नाम बन्धक हो उपलब्ध करानी होगी, जिसकी वैद्यता तिथि दिनांक 31.03.2022 तक होनी अनिवार्य है।
5. फर्म/कम्पनी का कार्यालय अथवा फर्म के डीलर/अधिकृत विक्रेता का कार्यालय उत्तराखण्ड राज्य में स्थित होने का प्रमाण संलग्न करना होगा।
6. फर्म/कम्पनी द्वारा पॉली लाईनिंग शीट का आयात विदेशों से किया जाता है तो Certificate of Importer – Exporter Code (IEC) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
7. देश से बाहर की फर्म/कम्पनी होने पर उनकी देश में Authorized Dealership का प्रमाण संलग्न करना होगा।
8. फर्म/कम्पनी द्वारा अपने तथा अपने समस्त डीलरों के GST एवं पैन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
9. आवेदक की अपनी स्वयं की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट/प्लान्ट मशीनरी होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य प्रस्तुत करने होगें।
10. मूल निर्माता फर्म/कम्पनियों को निर्धारित संलग्न प्रारूप पर औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों का मॉडल नं0, विशिष्टियां एवं समस्त कर सहित दर इत्यादि सूचनाएं अंकित करनी होगी।
11. फर्म/कम्पनी को सामग्री की गुणवत्ता, स्थापना, सामग्री का बदलाव (Replacement) विक्रय उपरान्त सेवा इत्यादि की भी जिम्मेदारी लेनी होगी तथा उनके द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री की 01 वर्ष की गारन्टी/वारन्टी भी देनी होगी।
12. फर्म/कम्पनी का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रू0 5.00 करोड़ होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य में सी0ए0 द्वारा विगत 03 वर्षों की तैयार बैलेन्स सीट की छायाप्रति संलग्न करनी होगी, जिसमें CA की मुहर एवं पंजीकरण संख्या स्पष्ट अंकित होनी चाहिये।
13. फर्म/कम्पनी को ISO प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
14. फर्म/कम्पनी का वाणिज्य कर विभाग में पंजीकरण के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
15. पंजीकृत किये जाने वाले औद्यानिक औजारों तथा मशीनों को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के नियमों का पालन करते हुए आवश्यकतानुसार आई0एस0आई0/बी0आई0एस0 मार्क के हों अथवा FMTTI या किसी मान्यता प्राप्त संस्था की व्यवसायिक परीक्षण आख्या आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
16. निर्धारित पंजीकरण प्रारूप में अंकन हेतु पर्याप्त स्थान न होने पर पंजीकरण प्रारूप की फोटो कॉपी कर अंकन किया जा सकता है।
17. फर्म/कम्पनी को रू0 100.00 नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पूर्वक अवगत कराना होगा कि पंजीकरण हेतु दी जा रही दरों से कम दरों पर फर्म/कम्पनियों द्वारा किसी अन्य राज्य/विभाग/संस्था को औद्यानिक औजार/मशीनों की आपूर्ति नहीं की जा रही है।
18. अपने Tools, Implements and Machines का साहित्य एवं फोटोग्राफ की हार्डकॉपी एवं साफ्टकॉपी (पैन ड्राईव/सी0डी0) में उपलब्ध करानी होगी।

क्रमशः– .....4.....

19. समस्त अभिलेख स्वप्रमाणित होने आवश्यक है।

20. वर्गवार सूची निम्न प्रकार है:–

| 1- Power Operated Machine/Tools (शक्ति चालित मशीन/टूल्स) | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tractor (up to 20 PTO HP) | 5. | Plant Protection equipments |
| 2 | Power Tiller | i. | Manual sprayer - Knapsack / foot operated sprayer |
| i. | Below 8 BHP | ii. | Powered Knapsack sprayer / Power Operated Taiwan sprayer (capacity 8-12 lts) |
| ii. | 8 BHP & above | iii. | Powered Knapsack sprayer / Power Operated Taiwan sprayer (capacity 12-16 lts) |
| 3 | Tractor / Power tiller (below 20 BHP) driven equipments | iv. | Powered Knapsack sprayer / Power Operated Taiwan sprayer (capacity above 16/lts) |
| i. | Land Development, tillage and seed bed preparation equipments | v. | Tractor mounted / Operated Sprayer (below 20 BHP) |
| ii. | Sowing, planting reaping and digging equipments | vi. | Tractor mounted / Operated Sprayer (above 35 BHP) / Electrostatic Sprayer |
| iii. | Plastic mulch laying machine | | |
| 4 | Self propelled Horticulture Machinery (Fruit plucker, Tree pruners, Fruit Harvesters, Fruit Graders, Nursery Media filing machine, multipurpose hydraulic system, power operated horticulture tools for spraying, pruning, budding, grafting, shearing, water lifting pump etc.) | | |

| 2. Manually Operated Equipment (हस्त चालित औजार जैसे– प्रुनिगं टूल्स/नर्सरी टूल्स) | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Secateurs | 8 | Patching knife |
| 2 | Grafting knife | 9 | Automatic grafting machine |
| 3 | Budding and Grafting knife | 10 | Edging knife |
| 4 | Pruning knife | 11 | Thinning scissors |
| 5 | Hedge seissors | 12 | Folding saw |
| 6 | Pruning saw | 13 | Fruit plucker |
| 7 | Branch pruner | 14 | Other Hand Tools |

निदेशक,
उद्यान, उत्तराखण्ड

# Format for Registration of Firms/Companies
## Department of Horticulture & Food Processing, Goverment of Uttarakhand
## Udhyan Bhawan, Chaubatia-Ranikhet (Almora)

**Bank Draft No.** **Date:** **Amount Rs. 2360.00 (With GST)**

### 1) Power Operated Machine/Tools (शक्ति चालित मशीन/टूल्स)

| S. No | Name and Address of Manufacturing firm/company | Name of machine / tool and Make /Model | Specifications | Power (HP & KW) | Tested by FMTTI / University / BIS | Rate per piece (including all taxes) (in Rs.) | Name and address of Dealer in Uttarakhand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| | | | | | | | |

**Sign. of authorized signatory of firm**

**Format for Registration of Firms/Companies**
**Department of Horticulture & Food Processing, Goverment of Uttarakhand**
**Udhyan Bhawan, Chaubatia-Ranikhet (Almora)**

**Bank Draft No.** **Date:** **Amount Rs. 2360.00 (With GST)**

## 2) Manually Operated Equipment (हस्त चालित औजार जैसे– प्रुनिगं टूल्स/नर्सरी टूल्स आदि)

| S. No | Name and Address of Manufacturing firm/company | Name of tool and Make /Model | Specifications | Tested by FMTTI / University / BIS | Rate per piece (including all taxes) (in Rs.) | Name and address of Dealer in Uttarakhand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| | | | | | | |

**Sign. of authorized signatory of firm**